राज्य का मंत्रिपरिषद

अनु०-163 :- राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए राज्य का एक मंत्रिपरिषद होगा।

अनु-164 :- मंत्रिपरिषद का गठन या विस्तार —

↳ विधान सभा के बहुमत दल का नेता राज्य का मुख्यमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्रि के सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जायेगा।

↳ यदि किसी भी दल को बहुमत नही मील रहा हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री घोषित कर बहुमत सिद्ध करने का मौका प्रदान कर सकेगा।

<u>योग्यता</u> :- ① विधानमण्डल के दोनों सदनों मे से किसी भी एक सदन का सदस्य हो।

② यदि किसी भी सदन का सदस्य नही है, तब भी मंत्रिपद धारण कर सकेगा लेकिन 6 माह के भीतर दोनों सदनों मे से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य।

मंत्रिपरिषद की संरचना :-

मंत्रिपरिषद
- → कैबिनेट मंत्री (मुख्यमंत्री सहित) → मंत्रिमण्डल
- → उपमंत्री
- → राज्यमंत्री

* राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार

91वां C.A.A. 2003 के द्वारा राज्य मे मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधान सभा के कुल सिटों का 15% होगा।

↳ राज्य मे मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 सदस्य होगा।

अनु॰ 167 : मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य :

राज्य के कार्यपालिका से सम्बन्धित समस्त कार्य की सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा।

महाधिवक्ता - Advocate Gen.

अनु. 165 :- राज्य को विधिक मामले मे सलाह एवं सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा।

यह राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है।

योग्यता :- उच्च न्यायालय मे न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति।

नियुक्ति :- राज्यपाल के द्वारा

कार्यकाल :- (1) राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त.

(2) त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकेगा।

कार्य-शक्ति :-

① यह सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार के पक्ष से बहस कर सकेगा।

② विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य नही होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेगा।
चर्चा बहस कर सकेगा, लेकिन मतदान का अधिकार नही होगा।

25 oct. 1951 से
21 feb 1952 तक प्रथम लोक-
सभा का निर्वाचन चला।

संसद → विधि निर्माण का सर्वोच्च व्यक्ति.
↳ इसे ब्रिटेन से लिया गया.
↳ इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं।

लोकसभा का गठन :- 17 April. 1952.
↳ इसके चुनाव मे कुल 53 दलों ने भाग लिया।
↳ 22 दलों को 1 या 1 से अधिक सिट प्राप्त हुआ।

राज्यसभा का गठन :-
3 April 1952 को स्थापना.
13 May 1952 को गठन.

स – 79
र – 80
लो – 81

संसद 79

→ राष्ट्रपति अनु० 52

लोकसभा
अनु० 81

- प्रथम सदन / निम्न सदन
- लोक प्रिय सदन
- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
  - अनु० 93

राज्यसभा
अनु० 80

- द्वितिय सदन / उच्च सदन
- स्थायी सदन
- सभापति – उपराष्ट्रपति
- उपसभापति
  - अनु० 89

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / उपसभापति → सदस्यों मे से सदस्यों द्वारा

अधिकतम सिट ÷ 550

- 530 राज्यों से
- 20 UT

वर्तमान — 543

- 530 राज्यों से
- 13 UT

2026 तक अपरिवर्तित

1971 की जनगणना

अधिकतम सीट ÷ 250

- 234 राज्यों
- 3 दिल्ली
- 1 पुडुचेरी
- 12 मनोनीत

वर्तमान ÷ 245

- 229 राज्यों से
- 3 दिल्ली
- 1 पुडुचेरी
- 12 मनोनित

योग्यता :- अनु० 84
(1) भारत का नागरिक हो।
(2) न्यूनतम आयु 25 वर्ष
(3) लाभ के पद पर नहीं हो।

निर्वाचन :- (1) प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा
(2) 2 Anglo Indian का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा
⇓
104वां C.A.A. 2020 के द्वारा मनोनयन समाप्त।

योग्यता - अनु० 84
(1) भारत का नागरिक हो।
(2) न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो।
(3) लाभ के पद पर नहीं हो।

निर्वाचन :-
(1) अप्रत्यक्ष रूप विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, आनुपातिक प्रणाली से।
(2) 12 सदस्यों का मनोनयन प्रक्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।

अनु० 83- कार्यकाल :-

1. 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटित
2. इससे पहले मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकेगा।
3. राष्ट्रीय आपात काल की स्थिति मे प्रत्येक वृद्धि पर कार्यकाल मे एक साल की वृद्धि।

अ० 83:- राज्य सभा का कार्यकाल :

1. स्थायी सदन है, कभी विघटित नही होता।
2. सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
3. प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण।

Note:- राज्य सभा का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है।

कार्य-शक्ति:

1. विधेयकों को पारित कराना
2. धन विधेयक पर एकाधिकार है।
3. मंत्रीपरिषद को उत्तरदायी बनाना

सत्र – 1. शीत सत्र
2. बजट सत्र
3. मानसून सत्र

गणपूर्ति/कोरम – सदस्यों का 1/10

कार्य/शक्ति:

1. विधेयकों को पारित कराना
2. धन विधेयक को ।पारित तक रोक सकेगा।
3. उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, अड, 249 और 312 पर एकाधिकार

सत्र – शीत सत्र, बजट सत्र मानसून सत्र

गणपूर्ति/कोरम – सदस्यों का 1/10

विधान मण्डल

अनु-168

राज्य के विधि निर्माण की विधायिका

राज्यपाल अनु 153

विधान सभा

170

प्रथम सदन, निम्न सदन
लोकप्रिय सदन

विधान परिषद

- गठन/उत्सादन — 169
- संरचना — 171

द्वितीय सदन / उच्च सदन
स्थायी सदन

वर्तमान में 6 राज्य में है- उ० प्र०, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष → सदस्यों में से सदस्यों द्वारा ← सभापति, उपसभापति

विधानसभा की अधि० - 500
न्यूनतम - 60

अपवाद: मिजोरम - 40
गोवा - 40
सिक्किम - 32
पुडुचेरी - 30

✓ विधान परिषद की अधिकतम -
विधानसभा का 1/3
न्यूनतम - 40

योग्यता :-

① भारत का नागरिक हो।
② न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण हो
③ लाभ के पद पर नही हो।

निर्वाचन :-

① प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा
② 1 Anglo-Indian मनोनयन राज्यपाल द्वारा।

104 C.A.M 2020

आंग्ल
ब्रिटेन + भारतीय → (सन्तान)

योग्यता :-

① भारत का नागरिक हो।
② न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण हो
③ लाभ के पद पर नही हो।

निर्वाचन :

शिथिल लोगो प्रत्यक्ष ←
- 1/12 :- स्नातकों द्वारा निर्वाचित > 3 साल हो गया हो।
- 1/12 :- शिक्षकों द्वारा निर्वाचित

मनोनित ← 1/6 :- राज्यपाल द्वारा 5 क्षेत्रों से मनोनित
कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता

नेता जी अप्रत्यक्ष ←
- 1/3 :- विधान सभा के सदस्यों द्वारा
- 1/3 ↳ पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि द्वारा।

कार्यकाल :-

① प्रत्येक 5 वर्ष पर स्वत: विघटित

② राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति मे विधान सभा के कार्यकाल मे प्रत्येक घोषणा पर एक साल वृद्धि।

कार्यकाल :-

① स्थायी सदन है, विघटित नही होगा।

② सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का

③ प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण।

कार्य | शक्ति

1. विधेयकों को पारित कराना।
2. धन विधेयक पर एकाधिकार।
3. मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाना।

सत्र - शीतसत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र

गणपूर्ति | कोरम - सदस्यों का 1/10

कार्य - शक्ति

1. प्रथमबार में पारित विधेयक को 3 माह तक।
द्वितीय बार में पारित विधेयक को 1 माह तक रोक सकेगा।

↳ धन विधेयक पर 14 दिन रोक लगा सकेगा।

सत्र - शीतसत्र बजट सत्र मानसून सत्र।

गणपूर्ति - सदस्यों का 1/10।